पत्रांक–5/पी०–100/2021.....10(5) योजना...../स्वा०

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः...11/05/2026.

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में बोकारो जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गाँधीनगर के भवन निर्माण की योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृति के अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 4,98,310/–(चार लाख अनठानबे हजार तीन सौ दस) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–112(6)ब दिनांक–27.08.2014 के क्रम में बोकारो जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गाँधीनगर के भवन निर्माण की योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृत राशि से अतिरिक्त व्यय की राशि 4,98,310/–(चार लाख अनठानबे हजार तीन सौ दस) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–112(6)ब दिनांक–27.08.2014 द्वारा बोकारो जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गाँधीनगर के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल राशि 2,00,69,400/–रूपये की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–655 (नि) दिनांक–02.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निविदा निष्पादन के समय परिमाण विपत्र से 4.5 प्रतिशत अधिक दर पर एकरारनामा के कारण योजना की लागत राशि कुल 2,05,67,710/–रूपये हो गई है। योजना पूर्ण एवं हस्तगत है।

4. योजना में प्रशासनिक स्वीकृत की राशि से वृद्धि की राशि कुल 4,98,310/–(चार लाख अनठानबे हजार तीन सौ दस) रूपये है, जो मूल स्वीकृत राशि से 2.48 % अधिक है। अतएव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के अधिसूचना सं०–1269 दिनांक–21.09.2023 की कंडिका–4 के आलोक में उपरोक्त मामले में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

5. योजना हेतु दायित्व राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

6. उक्त राशि का विकलन राज्य योजना अंतर्गत मुख्यशीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–48–जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण–01–जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210–01–110–48–01–05–45) से चालू वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(आनन्द कुमार सिन्हा)	(ललित मोहन शुक्ला)	(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव	संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

7. इस योजना हेतु आवंटित किए जाने वाले राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल, राँची होंगे, जो राशि का पुस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता–मुख्यशीर्ष–8448–स्थानीय निधि जमा–120–अन्य निधियाँ में करेंगे।

8. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

9. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता का दायित्त्व होगा।

10. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियंता इससे आश्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन Jharkhand PWD Code-2012 के सुसंगत नियमों के अधीन किया गया हो, इसके पश्चात ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा। किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान के लिए निगम के संबंधित अभियंता/पदाधिकारी पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

11. पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–112(6)ब दिनांक–27.08.2014 की सभी कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

12. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–5/पी०–100/2021 10(5) योजना राँची, दिनांकः 11/05/2026

प्रतिलिपिः

1. उपायुक्त, राँची/बोकारो।
2. आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. सिविल सर्जन, राँची/बोकारो।
4. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
5. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
6. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

10(5) यो
11/05/26